

समाचार.प्रकाशनार्थरू.

20 सफाई मित्रों का 1 दिवस व 1 का आधे दिवस का वेतन काटा

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त रतलाम 12 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 20 व दोपहर 1 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

वार्डों में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में नीतु पति हेमन्तए बरखा पति सुरेशए अनिल.अर्जूनए बसंतीबाई पति किषनए रामकुमार. बच्चेरामए लीलाबाई पति फुलचन्दए राहूल.राजेश्वरए अमन.रमेशए विषाल.प्रहलादए झोन क्रमांक 2 में रोहित.रमेशए बबीताबाई पति कमलए संगीताबाई पति हरीषए सुगनाबाई पति षंकरए परवेज.हुकमीचन्दए कमल.सुरेशए षकुन्तलाबाई पति अर्जूनए शिव.अशोकए विमलाबाई पति बंशीए झोन क्रमांक 3 में संदीप.सज्जनए सोनुबाई पति राकेश इस तरह 20 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसके अलावा दोपहर की उपस्थिति के दौरान झोन क्रमांक 1 में रामकन्याबाई पति अर्जून द्वारा अनुपस्थित पाये जाने पर आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्तधनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

आयुश्मान कार्ड बनाने का कार्य फरवरी माह तक पूर्ण करें
एसडीएम श्री षुकला ने बैठक में दिये निर्देश

रतलाम 12 फरवरी । आयुश्मान भारत 'श्रनिरामयम' योजना के पात्र के षेश बचे पात्र हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड बनाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी रतलाम षहर श्री राजेष षुकला ने नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर षीघ्रता से इस कार्य को पूर्ण कर हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिये।

अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर आयोजित बैठक में अनुविभागीय अधिकारी रतलाम षहर श्री राजेष षुकला ने नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों से कहा कि यह कार्य षासकीय होने के साथसाथ मानव हित का भी कार्य है इस हेतु वे षेश रहे पात्र हितग्राहियों की पहचान कर कॉमन सर्विस सेन्टरों के माध्यम से आयुश्मान कार्ड बनाने का कार्य षीघ्रता से कर फरवरी माह में कार्य पूर्ण करें।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंहए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडितए बीण्एलण चौधरीए राजेष पाटीदारए झोन प्रभारी श्री विनय चौहानए श्री धर्मेन्द्र दोगाया सहित नियुक्त अधिकारीए कर्मचारीए आंगनवाड़ी सुपरवाइजर व कार्यकर्ता उपस्थित थी।

खुले में गंदगी करने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 12 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 12 फरवरी को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर जगन्नाथ वाटिका दीनदयाल नगर पर 1000ए लालचन्द राठौड़ए गंगा रेस्टोरेंटए नारायण बाजना बस स्टैण्ड पर 250.250 व मनोज गवली बाजना बस स्टैण्ड पर 100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

चौगानिया भेरू मंदिर के पास सोमवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 73^ण4 लाख व जलकर 17^ण57 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 12 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भूभाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822^ए व जलकर 54ए850^एए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575^ए व जलकर 34ए520^एए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013^ए व जलकर 63ए450^एए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292^ए व जलकर 1ए19ए720^एए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857^ए व जलकर 62ए950^एए तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977^ए व जलकर 28ए870^एए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000^ए व जलकर 14ए000^एए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600^ए व जलकर 1ए04ए640^एए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206^ए व जलकर 1ए21ए090^एए प्रियदर्षनी नगर षिविर में

संपत्तिकर 2ए14ए000६ व जलकर 47ए000६ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422६ व जलकर 83ए700६ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500६ व जलकर 27ए540६ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281६ व जलकर 40ए240६ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000६ व जलकर 31ए760६ए काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077६ व जलकर 72ए440६ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534६ व जलकर 37ए465६ए कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए732६ व जलकर 36ए660६ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455६ व जलकर 92ए125६ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298६ व जलकर 64ए770६ए रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241६ व जलकर 28ए140६ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920६ व जलकर 1ए56ए600६ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338६ व जलकर 1ए67ए280६ए किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 3ए89ए541६ व जलकर 76ए625६ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए20ए807६ व जलकर 37ए520६ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए91ए836६ व जलकर 72ए860६ए महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए741६ व जलकर 37ए140६ पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर 2ए81ए036६ व जलकर 89ए570६ की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

12 फरवरी को 1^७80 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 12 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^३ चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 12 फरवरी षनिवार को 1^७80 मिट्रिक कचरा जुलवानिया टे^३ चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

12 फरवरी षनिवार को डम्पर से 27205ए टे^३ कटर से 12665ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 15910ए काम्पेक्टर गीला कचरा 15390ए डम्पर नाला मलबा 103535ए मैजिक सूखा 3280 व मैजिक गीला 2335 किलो इस तरह कुल 180320 किलो कचरा जुलवानिया टे^३ चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

75 माईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 12 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें।

उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध

28 फरवरी तक प्रषमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 12 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति

या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3094 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 109 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 12 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राशि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 196० हितग्राहियों को राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 105 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 12 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 12 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिशठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 12 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 12 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारजसंविण्हेमन्तध12ण02ण2022धनणपाणनिगमए रतलामण